कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 (इतिहास) के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति वाणिज्य/पीएससी /2015/2017 दिनांक–24.06.2017 द्वारा कुसुमलता भारद्वाज(वरियता क्रमांक–15) जन्म तिथि 15.07.85 का पदस्थापन राउमावि वाटिका–जयपुर के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश की पालना मे अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 27.06.17 को कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हुई परंतु राउमावि वाटिका–जयपुर में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांकः–शिविरा/मा./संस्था /सी–2/नियुक्ति वाणिज्य/पी.एस.सी/15/2017 दिनांक–01.07.2017 द्वारा कुसुमलता भारद्वाज का पदस्थापन राबाउमावि वाटिका–जयुपर में किया गया। अभ्यर्थी ने दिनांक 03.07.2017 को कार्यग्रहण कर लिया। इस प्रकार दिनांक 27.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से कुसुमलता भारद्वाज द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,.जयपुर में याचिका संख्या 4535/2020 कुसुमलता भारद्वाज बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

उक्त याचिका में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.09.2021 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सी.याचिका संख्या 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 और माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सी.याचिका संख्या 3247/2015 हेमलात श्रीमाली व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2015 की पालना में सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर नियमानुसार निस्तारित करने हेतु आदेशित किया है।

माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक 06.09.2021 की पालना में याचिकार्थी कुसुमलता भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से मनन किया गया। ऐसे समान प्रकरण में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 में यदि किसी कार्मिक की नियुक्ति होने के पश्चात् पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण पुनः पदस्थापन मे देरी होती है तो ऐसा प्रकरण एस.बी.सी. याचिका संख्या 4535/2020 कुसुमलता भारद्वाज में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 का शासन उपस्थायी समिति बैठक दिनांक 25.02.2022 को नो अपील का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार यह प्रकरण भी उसी प्रकृति का होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में किए गए थे। याचिकार्थी कुसुमलता भारद्वाज से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक संगीता दाधीच(वरीयता क्रमांक–194) जन्म तिथि–11.10.1973 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में संगीता दाधीच द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही प्रदत्त किए गए है।

संगीता दाधीच द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत दिनांक 28.06.2019 को नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार याचिकार्थी कुसुमलता भारद्वाज के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक संगीता दाधीच द्वारा उक्त तिथि तक प्राप्त वेतन वृद्धि सलेक्शन स्केल एवं सेवा परिलाभ की काल्पनिक गणना करते हुए उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन नियतन किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही

Rajasthan Education Department

उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2 /.या.स.4535/कुसुमलता/2021 दिनांकः– 11.04.22

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
09. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते